

मूल वाद में अन्तिम डिक्ली
बमुकद में ईब्दादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 199/2025

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

- जसवीर कौर पत्नी करतार सिंह जाति नाई नि.चक प्रतापनगर तहसिल संगरिया जिला हनुमानगढ़
- अवतार सिंह पुत्र करतार सिंह (आयु लगभग 15 वर्ष) जाति नाई निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया ना. ज. कु. वली. माता जसवीर कौर पत्नी करतार सिंह जाति नाई निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम

- अमरजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तह.संगरिया
- दर्शन सिंह पुत्र जंग सिंह जाति नाई निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बलकरण सिंह पुत्र जंग सिंह जाति नाई निवासी चक प्रतापनगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बलवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया।
- 4/1 सतविन्द्र पाल सिंह पुत्र बलवन्त हिंस जाति जटसिख नि.चक प्रतापनगर तहसील संगरिया।
- 4/2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख नि.चक प्रतापनगर
- राजू कौर पुत्री महमा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 5 एन.टी.डब्ल्यू (व्लयु वैल स्कुल वाला सरस्ता पर गदरखेडा वालों की ढाणी) रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- काको कौर पुत्री महमा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 5 एन.टी.डब्ल्यू (व्लयु वैल स्कुल वाला सरस्ता पर गदरखेडा वालों की ढाणी) रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बिटु कौर पुत्री महमा सिंह जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- राजपिन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह (पुत्र महमा सिंह) जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- सुमनप्रीत कौर पुत्री गुरमीत सिंह (पुत्र महमा सिंह) जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- किरणप्रीत कौर पुत्री गुरमीत सिंह (पुत्र महमा सिंह) जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- विरेंद्रजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह (पुत्र महमा सिंह) जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 7.10.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिराल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी भिन जागिन मुदई श्रीवकील भिन जागिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्ली निम्नानुसार दी जाती है:-


क्र. सं.	नाम काशतकार मय वल्लियत एव सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
1	1 अमरजीत सिंह 2 महमा सिंह 3 दलीप सिंह बहिब 0.025 हि. जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर 3 अवतार सिंह पुत्र करतार सिंह 0.380 हि. 4 जसवीर कौर पत्नी करतार सिंह 0.759 हि. सहिन एचडीएफसी चक हि. शाखा हनुमानगढ़ टाउन 5 राजू कौर पुत्री महमा सिंह 6 बलकरण सिंह सहिन आरएमजीवी शाखा 10 एनटीडब्ल्यू बहिब 0.997 हि. जाति नाई निवासी चकप्रतापनगर 7 बलवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 0.126 हि. जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर	प.मं. गोरखण्ड सिखान के चक 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 43/8 खाते का योग- 2.277 हि. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	अवतार सिंह पुत्र करतार सिंह 0.380 हि. जसवीर कौर पत्नी करतार सिंह 0.759 हि. सहिन एचडीएफसी बैंक हि. शाखा हनुमानगढ़ टाउन जाति नाई निवासी प्रतापनगर दर्शन सिंह बलकरण सिंह सहिन आरएमजीवी शाखा 10 एनटीडब्ल्यू बहिब 0.997 हि जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर अमरजीत सिंह 0.012 हि. 2 महमा सिंह 0.138 हि. (महमा सिंह फोव) पि दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर	प.मं. 152/170 मून 23 का भि. न. 19,20,21,23/1012 22/0 127 भिन. किन के गेपेफन कूल 1.139 हेन प.मं. 152/170 मून 23 का भि. न. 4/0.240 भिन. 5/1 23/233 5/2 2/0.033 भेमु. 1/5/7 6/2 2/0.215 6/2 2/0.038 भेमु. सरस्ता 7/0.253 कूल 2.997 हेन प.मं. 152/170 मून 23 का भि. न. 4/0.013 भिन. 2/0.099 5/1 2/0.012 खोड, 22/0.126 कूल 0.151 हेन

Handwritten signature

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संश्लिष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3075 दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणिक काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में महमा सिंह के पास 0.126 हि. कब्जा काश्त में अधिक होना व उक्त रकबा बलवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह से क्रय करना बतलाया है। लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने संबंधी अंकन किया गया है। इसलिए प्रश्नगत रकबा मूल मालिक के नाम यथावत रखा जावे।
निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7.10.2028 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया